

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

86 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

23.09.2022

तारीख निर्णय

13.04.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1-श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र स्व. श्री पदमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार
पुराना बस स्टैण्ड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी कल्याण कॉलोनी न्यू बस
स्टैण्ड के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii),(v) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-पैरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 13.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.07.2022 को समय 01:19 पी.एम पर मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराना बस स्टैण्ड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र स्व. श्री पदमचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हुकुम चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) के 5 नग मूल पैक प्रत्येक 452-452 ग्राम व 4 नग मूल पैक 905-905 ग्राम के रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री हुकुम चन्द जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 905 ग्राम का एक नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 905 ग्राम घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर प्रत्येक शिशी में 225-225 ग्राम कुल मात्रा 900 ग्राम भरकर ढक्कन से एयरटाईट



बन्द किया एवं नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3227 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3227 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय विक्रेता श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र स्व. श्री पदमचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/2141 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2421/एक्ट/2022/2448 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण अवमनाक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) का उल्लंघन करने के कारण कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमनाक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी सरस एगमार्क ब्राण्ड (Ghee Saras Agmark Brand) का नमूना जांच में अवमनाक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26



की उप धारा 2(ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
न्यायातिरिक्त-जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दोक-राज0